



बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 23/2023)

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कार्यक्रम एवं निर्देश

उक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 30.08.2024 को प्रकाशित किया गया। आयोग द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्देश निम्न प्रकार है :-

तिथि एवं दिन	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
	अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक	अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक
20.09.2024 शुक्रवार	100044, 100050, 100098, 100119, 100124, 100133, 100187, 100252, 100308, 100457, 100504, 100553, 100577, 100760, 100864, 101002, 101003, 101012, 101032, 101042, 101258, 101453, 101465, 101475, 101494, 101504, 101632, 101636, 101683, 101710, 101711, 101771, 101815, 101910, 101960, 101999, 102070, 102209, 102283, 102318, 102339, 102430, 102447, 102460, 102477, 102500, 102557, 102572, 102627, 102677, 102718, 102789, 102929, 103082, 103200, 103251, 103364, 103423, 103425, 103449, 103575, 103586, 103587, 103733, 103963, 103994, 104035, 104092, 104104, 104196, 104401, 104410, 104500, 104549, 104631, 104673, 104709, 104898	104903, 104906, 104960, 105099, 105180, 105290, 105360, 105369, 105385, 105393, 105413, 105483, 105491, 105518, 105550, 105583, 105662, 105677, 105804, 105855, 105864, 106069, 106077, 106087, 106090, 106104, 106115, 106208, 106249, 106429, 106504, 106622, 106627, 106628, 106753, 106764, 106818, 106893, 106900, 106956, 106967, 106982, 106996, 107059, 107093, 107113, 107208, 107215, 107274, 107279, 107312, 107352, 107452, 107539, 107555, 107583, 107634, 107729, 107865, 107879, 108054, 108118, 108131, 108149, 108175, 108202, 108213, 108235, 108239, 108253, 108288, 108310, 108343, 108418, 108581, 108643, 108762, 108879
21.09.2024 शनिवार	108912, 108920, 108924, 109050, 109056, 109083, 109086, 109205, 109239, 109276, 109351, 109379, 109429, 109435, 109448, 109453, 109578, 109602, 109684, 109959, 110042, 110171, 110226, 110231, 110258, 110291, 110358, 110406, 110454, 110470, 110515, 110547, 110548, 110553, 110584, 110590, 110669, 110741, 110764, 110837, 110894, 111059, 111205, 111217, 111242, 111517, 111590, 111610, 111641, 111686, 111718, 111799, 111823, 111950, 112000, 112019, 112149, 112151, 112224, 112248, 112435, 112477, 112493, 112557, 112566, 112629, 112761, 112764, 112863, 112885, 113073, 113078, 113336, 113543, 113550, 113683, 113756, 113777	113844, 113916, 113978, 114083, 114149, 114166, 114213, 114243, 114245, 114260, 114335, 114362, 114440, 114479, 114513, 114639, 114689, 114907, 115027, 115040, 115131, 115213, 115385, 115416, 115505, 115598, 115668, 115714, 115768, 116061, 116099, 116118, 116193, 116266, 116272, 116417, 116454, 116496, 116506, 116532, 116753, 116946, 117044, 117168, 117237, 117270, 117338, 117400, 117414, 117559, 117593, 117753, 117763, 117832, 117859, 118002, 118028, 118121, 118267, 118286, 118302, 118313, 118474, 118533, 118722, 118901, 119043, 119059, 119183, 119231, 119457, 119472, 119495, 119520, 119777, 119877, 119928, 119948
22.09.2024 रविवार	119993, 120054, 120192, 120257, 120523, 120565, 120588, 120756, 120856, 120942, 120972, 121018, 121027, 121050, 121091, 121158, 121173, 121229, 121341, 121368, 121417, 121804, 121915, 122011, 122026, 122264, 122330, 122421, 122471, 122496, 122670, 122805, 122823, 122943, 122982, 122986, 123167, 123209, 123246, 123321, 123350, 123373, 123374, 123411, 123647, 123709, 123746, 123842, 123844, 123855, 123863, 123883, 124058, 124075, 124204, 124271, 124278, 124280, 124439, 124541, 124570, 124571, 124659, 124673, 124719, 124993, 125042, 125083, 125124, 125149, 125263, 125294, 125330, 125343, 125462, 125652, 125708, 125713	125750, 125952, 125966, 125995, 126058, 126122, 126129, 126273, 126277, 126282, 126363, 126378, 126413, 126469, 126648, 126705, 127181, 127272, 127336, 127443, 127502, 127604, 127611, 127657, 127685, 127792, 127824, 127962, 127998, 128098, 128116, 128159, 128379, 128554, 128642, 128709, 128828, 128942, 128979, 129007, 129211, 129299, 129398, 129453, 129484, 129532, 129606, 129725, 129867, 129948, 129987, 129991, 130095, 130121, 130235, 130296, 130300, 130371, 130404, 130439, 130668, 130676, 130689, 130713, 130853, 130896, 130902, 130916, 130941, 130956, 130990, 130997, 131019

OK

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी उक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के ई-प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे।
3. आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र-I में अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली जानकारीयों/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
4. सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कड़िका- 6 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की सुस्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रेमाणित Downloaded Watermarked निम्नांकित क्रमानुसार एक (01) सेट में जमा करना अनिवार्य होगा :-

- | | |
|---|--|
| <p>(i) मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।</p> <p>(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का अंक पत्र/प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।</p> <p>(iii) विधि स्नातक का अंक पत्र।</p> <p>(iv) विधि स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र।</p> <p>(v) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/ विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।</p> <p>(vi) वैसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययनरत रहा हो।</p> <p>(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।</p> <p>(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) (दावा करने की स्थिति में)।</p> <p>(ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।</p> <p>(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।</p> <p>(xi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट/EWS आरक्षण का दावा करने की स्थिति में)।</p> | <p>(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। इस विज्ञापन हेतु गत वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (दावा करने की स्थिति में)।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवम् परिसम्पत्ति (EWS) प्रमाण-पत्र विज्ञापन प्रकाशन से एक वर्ष पूर्व अर्थात् दिनांक 27 फरवरी, 2022 से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2023 तक का निर्गत (EWS) प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा।</p> <p>(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या-11/आ.-न्याय-73/2024 12679/ सा.प्र., दिनांक 12-08-2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के आलोक में तांती (ततवा) जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर पान/स्वासी जाति में सुधार कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग किया है, को दस्तावेज सत्यापन के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।</p> <p>(xiv) अस्थि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
अस्थि दिव्यांग (OH) का दावा करने की स्थिति में PMCH, Patna से निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(xv) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)</p> <p>(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।</p> <p>(xvii) हाल का खींचा हुआ दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Recent Photograph)</p> |
|---|--|

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27.03.2023 तक या पूर्व का होना अनिवार्य है।

5. अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।
6. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।
7. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
(iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगता होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका 4 (xii) एवं (xiv) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
8. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर आवेदन में अंकित तथ्यों एवं उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विधिवत् विभागीय जाँच के पश्चात् यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी, कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
10. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य/Smart) इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
11. आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के दिन ही सम्पन्न होगा, जिसके लिए आपको 16.00 रु. (सोलह रु.) का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
12. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
संलग्नक :- आवेदन का सार (प्रपत्र-1)


5-9-2022
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना